सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 01, सोमवार, *शाके 1946*-सितम्बर 23, *2024*	
Asvina 01, Monday, Saka 1946- September 23, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 20, 2024

जी.एस.आर.36 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, विभिन्न सेवा नियम, 2024 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन.- नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम में आये विद्यमान **स्पष्टीकरण** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण:** "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने,-

(i) उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में उल्लिखित किसी खेलकूद और खेलों के किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,-

सारणी

क्र.सं.	**अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था**	**टूर्नामेण्ट/ चैम्पियनशिप का नाम**
1.	2.	3.
1.	अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)

2.	एशिया ओलम्पिक परिषद् (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3.	दक्षिण एशियाई ओलम्पिक परिषद् (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियाई खेल; जो सामान्यतः सैफ खेलों के रूप में जाने जाते है।
4.	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल खेल
5.	अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप
6.	ओ.सी.ए.से संबद्ध एशियाई खेलकूद परिसंघ	एशियाई चैम्पियनशिप
7.	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेलकूद परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल/ चैम्पियनशिप
8.	एशियाई स्कूल खेलकूद परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियाई स्कूल खेल/ चैम्पियनशिप

या

(ii) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iii) इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या उससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों के राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/ चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iv) एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद और खेलों में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(v) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/ पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद और खेलों की नेशनल गेम्स /नेशनल पैरा गेम्स या नेशनल चैम्पियनशिप /पैरा नेशनल चैम्पियनशिप में व्यक्तिश: या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

अनुसूची

क्रम संख्या	नियमों का नाम	विद्यमान नियम की संख्या
1	2	3
1.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और	11

	अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	
2.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	11

[सं. एफ.5(31)डीओपी/ए-2/84]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 20, 2024

G.S.R.36 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules, 2024, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (3rd Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment.-** The existing EXPLANATION occurring in the rule as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule given below shall be substituted by the following, namely:-

"Explanation: "Outstanding sportspersons" shall mean sportspersons who are bona fide resident of the State of Rajasthan, and,-

(i) represented Indian team in individual or in team event in any international tournament/championship of any sports and games mentioned in column number 3 of table given below organized by the international sports body mentioned in column number 2 of the said table,-

Table

S.No.	International Sports Body	Name of the Tournament/ Championship
1	2	3
1.	International Olympic Committee [IOC]	Olympic Games (Summer)
2.	Olympic Council of Asia [OCA]	Asian Games
3.	South Asian Olympic Council [SAOC]	South Asian Games; commonly known as SAF games
4.	Commonwealth Games Federation [CGF]	Commonwealth Games
5.	International Sports Federation affiliated to IOC	World Cup / World Championship
6.	Asian Sports Federation affiliated to	Asian Championship

	OCA	
7.	International School Sports Federation [ISSF]	International School Games/ Championship
8.	Asian School Sports Federation [ASSF]	Asian School Games / Championship

or

(ii) medal winner in the individual or in team event in any School National Games of any Sports and Games organized by the School Games Federation of India;

or

(iii) medal winner in the individual or in team event in any national tournament/championship of any sports and games organized by the Indian Olympic Association or its affiliated National Sports Federation [N.S.F];

or

(iv) medal winner in the all India inter university in individual event or in team event in any sports and games, organized by association of Indian universities;

or

(v) represented Rajasthan in individual or in a team event in national games/ national para games or national championship/para national championship of any sports and games, organized by the India Olympic Association/Para Olympic Committee of India or its affiliated National Sports Federation."

SCHEDULE

S.No.	Name of Service Rules	No. of existing Rule
1	**2**	**3**
1.	The Rajasthan Language and Library(State and Subordinate) Service Rules, 2013	11
2.	The Rajasthan Excise Laboratory (State and Subordinate) Service Rules, 2015	11

[No. F 5(31) DOP/A-II/84]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.